

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2024

जयपुर, दिनांक :

आदेश

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 27.02.2024 के अन्तिम पैरा को निम्नानुसार संशोधित कर पढा जावे :-

विभागीय आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा स्थानान्तरित अधिकारियों में से जिनका पदस्थापन जिस पद पर किया गया किन्तु उस पद पर पूर्व से पदस्थापित अधिकारी का नवीन स्थान पर पदस्थापन नहीं किया है। ऐसी स्थिति में पूर्व से पदस्थापित अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे तुरन्त प्रभाव से अग्रिम पदस्थापन हेतु निदेशालय में अपनी उपस्थिति प्रस्तुत करें।

राज्यपाल की आज्ञा से,

संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2)
विभाग एवं पंचायती राज
(चिकित्सा) विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
3. समस्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज. जयपुर
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक, मेडिकल कालेज एवं अस्पताल, राज.
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन राज.
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राज.
7. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय/उप जिला चिकित्सालय/सैटेलाईट अस्पताल, राज.
8. संबंधित अधिकारी
9. कम्प्यूटर सेल

संयुक्त शासन सचिव

RajKaj Ref
5853774

Document certified by PREETI MATHUR
<adwececell.we@rajasthan.gov.in>.

Digitally Signed by Preeti Mathur
Designation: Joint Secretary To
Government
Date :28-02-2024 03:02:17